संख्या –280 /आठ–1–13–01विविध/2000

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3– **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2013**

विषय : वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना–2002) की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–3367/आठ–1–11–01विविध/2000 दिनांक 29.11.11 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0टी0एस0 योजना की अवधि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के लिए निर्धारित की गयी थी।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0टी0एस0 योजना, 2002 की समय–सीमा दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ायी जाती है। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से प्रश्नगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– शेष शर्तें ओ0टी0एस0 योजना–2002 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02, 30.10.02 व 29.11.11 में निहित प्राविधानों के अनुरूप रहेंगे।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी विकास प्राधिकरणों/परिषदों में सब–रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
अनु सचिव

I. Singh/G.O.